

वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2020-फाल्गुन 2, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद अबुल-म-आरिफ सिद्दीकी आत्मज हकीम मोहम्मद सिद्दीक, आयु बयस्क, निवासी मकान नम्बर 68, सनराईज अपार्टमेंट, सनराईज कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल म.प्र. यह कि त्रुटिवश मेरे पुत्र मोहम्मद अफ़नान सिद्दीकी के स्कूली रिकॉर्ड में उसका नाम MOHD. AFNAN SIDDIQUI एवं मेरा नाम M.A.M. SIDDIQUI अंकित हो गया है, जबकि अन्य शासकीय दस्तावेज अनुसार मेरे पुत्र का सही नाम MOHAMMED AFNAN SIDDIQUI एवं मेरा सही नाम MOHAMMED ABUL-MA-ARIF SIDDIQUI है।

पुराना नाम :

(M.A.M. SIDDIQUI)

(1112-बी.)

नया नाम :

(MOHAMMED ABUL-MA-ARIF SIDDIQUI)

आत्मज हकीम मोहम्मद सिद्दीक.

नाम परिवर्तन

मैं, आशा ललन शर्मा आत्मज श्री रामावतार सेन (पत्नी श्री ललन सेन), निवासी मकान नं. 19, कुशवार सेमरिया, जिला रीवा मध्यप्रदेश की होकार सूचित करती हूँ कि मेरी कक्षा 8वीं की अंकसूची एवं आधारकार्ड, वोटरकार्ड में मेरा नाम आशा सेन दर्ज है जो सही है तथा मेरे पैनकार्ड में मेरा नाम आशा ललन शर्मा दर्ज है, जो गलत है. जिसे परिवर्तित कर नाम आशा ललन शर्मा से सही नाम आशा सेन कर लिया है।

अतः भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में सही नाम आशा सेन दर्ज किया जाकर जाना, माना व पढ़ा जाए,

पुराना नाम :

(आशा ललन शर्मा)

(ASHA LALAN SHARMA)

(1113-बी.)

नया नाम :

(आशा सेन)

(ASHA SEN)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण सूचित हो कि मेरा बोलता नाम सुनील किरार होकर मेरे मतदाता पहचान पत्र व मेरे बच्चों के शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित होकर सुनील किरार के नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ, जबकि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, आधारकार्ड, पैनकार्ड तथा बैंक खाता

इत्यादि में मेरा नाम विष्णु शरण धाकड़ अंकित है. मैं, शपथ पत्र दिनांक 24-01-2020 द्वारा घोषणा करता हूँ कि सुनील किरार व विष्णु शरण धाकड़ मेरे ही नाम हैं तथा आज दिनांक 24-01-2020 से मेरा नाम सुनील किरार रहेगा तथा सभी संव्यवहारों, शासकीय प्रपत्रों व अभिलेखों में मेरा नाम विष्णु शरण धाकड़ के स्थान पर सुनील किरार पढ़ा व समझा जावे.

पुराना नाम :

(विष्णु शरण धाकड़)

पुत्र श्री ज्ञानी चंद्र वर्मा (धाकड़).

(1114-बी.)

नया नाम :

(सुनील किरार)

पुत्र श्री ज्ञानी चंद्र वर्मा (धाकड़),
निवासी-ग्राम भानगढ़, पो. पीपरघार,
तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ सूचनाकर्ता के सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड, शासकीय दस्तावेज एवं पहचान पत्रों व बैंक खाता आदि में मेरा नाम प्रांजल अग्रवाल पुत्री श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल है किन्तु आम बोलचाल में सभी परिचित एवं परिवारीजन मुझे अर्चना अग्रवाल पुत्री श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल के नाम से जानते हैं एवं मेरे बचपन में मेरे पिता द्वारा यू.टी.आई. म्यूचल फण्ड के चिल्ड्रन कैरियर बैलेन्सड प्लान ग्रोथ प्लान ओल्ड फोलिया नं. 500140513 न्यू फोलिया नं. 511177601303 एवं ओल्ड फोलिया नं. 500140512 न्यू फोलिया नं. 511177601392 में मेरे पिता द्वारा मेरा नाम अर्चना अग्रवाल पुत्री श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल दर्ज कराया गया है जोकि उपरोक्त दोनों ही नाम मेरे होकर भविष्य में मुझे प्रांजल अग्रवाल पुत्री श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाए एवं मेरी जन्म दिनांक 31-08-1992 मान्य की जावे.

पुराना नाम :

(अर्चना अग्रवाल)

पुत्री श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल.

(1115-बी.)

नया नाम :

(प्रांजल अग्रवाल)

पुत्री श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल,
निवासी-सिकरवारी बाजार,
मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, राम स्नेही (RAM SNEHAI) सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम रामस्नेही है गलती से मेरे Reliance Industries Limited के शेयरों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम स्नेह लता सिंह एवं स्नेह लता लिखा गया है जो कि गलत है, जबकि मैं वर्तमान में राम स्नेही (RAM SNEHAI) पत्नी श्री चन्द्रमोहन सिंह के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम राम स्नेही (RAM SNEHAI) पत्नी श्री चन्द्रमोहन सिंह के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी तथा अतः मेरी Reliance Industries Limited के शेयरों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम स्नेह लता सिंह एवं स्नेह लता के स्थान पर राम स्नेही (RAM SNEHAI) लिखा जाये एवं पढ़ा जाये, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(स्नेह लता सिंह, स्नेह लता)

(1116-बी.)

नया नाम :

(राम स्नेही)

निवासी-1/47, शब्दप्रताप आश्रम,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मोती राम खरे था. अब नाम बदलकर मेरा नाम मोती प्रेम खरे हो गया है. मुझे कुलनाम मोती प्रेम खरे के नाम से जाना, पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय दस्तावेजों में एवं अभिलेखों में इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मोती राम खरे)

पुत्र-श्री प्रेम खरे.

(1117-बी.)

नया नाम :

(मोती प्रेम खरे)

पुत्र श्री प्रेम खरे,
निवासी-एच.आई.जी. 203, सेक्टर-डी,
अयोध्या नगर, जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा नाम शादी के पूर्व कंचन लुल्ला पिता श्री सुरेश कुमार लुल्ला था. जो समस्त विद्यालय एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. लेकिन अब शादी के बाद मेरा नाम वंशिका वलेजा पत्नी श्री दिलीप वलेजा हो गया है. अतः अब मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम वंशिका वलेजा पत्नी श्री दिलीप वलेजा ही दर्ज किया जाय व भविष्य में पढ़ा, लिखा एवं माना-जाना जाय.

पुराना नाम :

(कंचन लुल्ला)

(1118-बी.)

नया नाम :

(वंशिका वलेजा)

पत्नी श्री दिलीप वलेजा,
निवासी-कृष्णानगर एल. आई. सी.

बिल्डिंग के सामने वार्ड नं. 22 सतना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम राजेन्द्र सिंह उर्फ रंजन सिंह पुत्र श्री चैनसिंह दर्ज हो गया है. जो त्रुटिवश घर के नाम से दर्ज हो गया है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं जिन्हें घर पर पुकारा जाता है एवं शपथग्रहिता का सही नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चैन सिंह के नाम से दर्ज किया जावे उन्हें इस नाम से जाना, पहचाना जाए. शासकीय दस्तावेजों में ऋणपुस्तिका, खसरा, खतोनी, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(रंजन सिंह)

पुत्र-श्री चैनसिंह.

(1119-बी.)

नया नाम :

(राजेन्द्र सिंह)

पुत्र-श्री चैनसिंह,
निवासी-ग्राम अमोनी जंगल बालमपुर,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, राजू पुत्र श्री हरीदास सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम राजू वसुदेवा (Raju Vasudeva) पुत्र श्री हरीदास था. जो मेरे बीमा पॉलिसी क्रमांक 200030108 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं, राजू पुत्र श्री हरीदास के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और मेरे सभी दस्तावेजों जैसे पेनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, बैंक की पासबुक इत्यादि में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200030108 एवं अन्य प्रपत्रों में नाम राजू वसुदेवा (Raju Vasudeva) लिखा गया है. जो कि गलत है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200030108 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राजू वसुदेवा (Raju Vasudeva) के स्थान पर राजू लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(राजू वसुदेवा)

(1120-बी.)

नया नाम :

(राजू)

पता-119, लक्ष्मणपुरा, तहसील ग्वालियर,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, धर्मेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पिता श्री हरि राम सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार गौड था. जो मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि मेरे शासकीय/अद्वैशासकीय प्रपत्रों जैसे आधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार विश्वकर्मा लिखा गया है और वर्तमान में धर्मेन्द्र कुमार विश्वकर्मा एवं धर्मेन्द्र विश्वकर्मा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और धर्मेन्द्र कुमार विश्वकर्मा के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार गौड के स्थान पर धर्मेन्द्र कुमार विश्वकर्मा लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(धर्मेन्द्र कुमार गौड)

(1121-बी.)

नया नाम :

(धर्मेन्द्र कुमार विश्वकर्मा)

पता-रामपाल कॉलोनी, टेकनपुर,
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

“सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुशील मणी अग्रवाल, पति स्व. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, पता-डॉ. एस. के नेमा के सामने, राधावल्लभ वार्ड, करेली, करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश-487221, यह कि मेरे दोनों पुत्र योगेश अग्रवाल एवं पुत्र पुनीत अग्रवाल हैं। इनके सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं पैनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकार्ड में ट्रिटिवश में रा नाम शीला अग्रवाल (घरु नाम) मेरे पति श्री दिनेश अग्रवाल हो गया है, जबकि मेरे एवं मेरे पति के सभी दस्तावेजों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकार्ड में मेरा नाम सुशील मणी अग्रवाल (SUSHIL MANI AGRAWAL) मेरे पति श्री दिनेश कुमार अग्रवाल (DINESH KUMAR AGRAWAL) अंकित है जो कि सत्य व सही है, उक्त मेरा नाम एवं मेरे पति हम दोनों के नाम ही सत्य व सही हैं, भविष्य में मुझे सुशील मणी अग्रवाल पति स्व. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल के नाम से जाना एवं पहचाना जाये एवं मेरे दोनों पुत्र योगेश अग्रवाल एवं पुत्र पुनीत अग्रवाल बच्चों के दस्तावेजों में मेरा नाम सुधार कर मेरा नाम सुशील मणी अग्रवाल मेरे पति स्व. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल को सभी शासकीय अभिलेखों में अंकित किया जाकर पढ़ा जावे”।

पुराना नाम :

(शीला अग्रवाल)

पति-श्री दिनेश अग्रवाल.

(1122-बी.)

नया नाम :

(सुशील मणी अग्रवाल)

पति-स्व. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल,

पता-डॉ. एस. के नेमा के सामने,

राधावल्लभ वार्ड, करेली, करेली नरसिंहपुर,

मध्यप्रदेश-487221.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजेन्द्र प्रसाद पटेल आत्मज श्री जग्यभान पटेल था, अब मेरा नाम राजकरण पटेल आत्मज श्री जग्यशरण पटेल हो गया है। भविष्य में मुझे नए नाम राजकरण पटेल आत्मज श्री जग्यशरण पटेल से जाना, पहचाना जाए तथा सभी कार्यों एवं अभिलेखों में अंकित किया जावें।

पुराना नाम :

(राजेन्द्र प्रसाद पटेल)

आत्मज श्री जग्यभान पटेल.

(1123-बी.)

नया नाम :

(राजकरण पटेल)

आत्मज श्री जग्यशरण पटेल,

पता-एलएफ-117, कोटरा सुल्तानावाद,

भोपाल मध्यप्रदेश.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विवाह पूर्व कुमारी संध्या मेहर पुत्री श्री मांगीलाल मेहर था, विवाह के पश्चात् श्रीमति दीपिका सोलंकी पत्नी श्री दीपक सोलंकी हो गया है। भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों एवं दैनिक कार्य व्यवहार में इसी नाम से जाना, पहचाना जावें।

पुराना नाम :

(कुमारी संध्या मेहर)

पुत्री श्री मांगीलाल मेहर.

(1124-बी.)

नया नाम :

(दीपिका सोलंकी)

पत्नी-श्री दीपक सोलंकी,

पता-EWS-645, कोटरा सुल्तानावाद,

भोपाल मध्यप्रदेश.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी दस्तवेजों एवं बारहवीं की मार्कशीट में ट्रिटिवश मेरा नाम अजय कुमार गौर लिखा हुआ है, जो कि सही नहीं है। मेरा सही नाम अजय गौर है जो कि मेरी ग्रेजुएशन एवं आधार व पेनकार्ड में दर्ज है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अजय गौर (Ajay Gour) के नाम से जाना, पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(AJAY KUMAR GOUR)

(1125-बी.)

नया नाम :

(AJAY GOUR)

पता-ग्राम पोस्ट छिपाबड़,

तहसील खिरकिया, जिला हरदा।

नाम परिवर्तन

मैं, विकास कुमार सांखला पिता दिलीप कुमार सांखला, निवासी 164, अभिनंदन कॉलोनी, मेन मंडसौर का होकर मेरा नाम विकास कुमार सांखला है। पहले 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम टंकण त्रुटि की वजह से विकास सांखला हो गया था। मुझे मेरे सभी परिचित व रिस्टेदार विकास कुमार सांखला के नाम से ही जानते व पहचानते हैं आईंदा भी सभी मुझे मेरे इस नाम विकास कुमार सांखला के नाम से जानें व पहचानें।

पुराना नाम :

(विकास सांखला)

(1126-बी.)

नया नाम :

(विकास कुमार सांखला)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम महाराज सिंह उर्फ बब्लू पुत्र श्री चैनसिंह दर्ज हो गया है। जो त्रुटिवश घर के नाम से दर्ज हो गया है एवं दानों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जिन्हें घर पर पुकारा जाता है एवं शपथग्रहिता का सही नाम महाराज सिंह पुत्र श्री चैन सिंह के नाम से दर्ज किया जावे उन्हें इस नाम से जाना, पहचाना जाए, शासकीय दस्तावेजों में ऋणपुस्तिका, खसरा, खतौनी, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम :

(बब्लू)

पुत्र-श्री चैनसिंह।

(1127-बी.)

नया नाम :

(महाराज सिंह)

पुत्र-श्री चैनसिंह,

निवासी-ग्राम अमोनी जंगल बालमपुर,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम डिजवार (DIZHWAR) अंकित है। जिसका पंजीयन क्र. 1B-2019:23-90871-001522, दिनांक 09 मार्च, 2019 है। जो उसका घरेलू नाम है। जबकि मेरे पुत्र का सही नाम उजेफ हुसैन (UZAIF HUSSAIN) है। मैं अपने पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका सही नाम उजेफ हुसैन (UZAIF HUSSAIN) अंकित कराना चाहता हूँ, जो सत्य व सही है। कृपया उसके प्रमाण-पत्र में नाम संशोधन कर उसका सही नाम उजेफ हुसैन (UZAIF HUSSAIN) पुत्र तनवीर हुसैन एवं माता का नाम उजमा हुसैन किया जावे।

प्रार्थी,

तनवीर हुसैन,

पता-नई सड़क, बावन पायगा,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(1128-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, मधु बौहरे मेरा नाम शादी के पूर्व अंकसूची में रजनी पाठक पिता श्री विश्वनाथ पाठक और जन्म दिनांक 18-07-1981 था, जो शादी के बाद मेरा नाम मधु बौहरे (MADHU BOHARE) पति श्री नवल किशोर बौहरे हो गया है। मेरे अब सभी दस्तावेज वोटर कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक एवं बच्चों की अंकसूची एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मधु बौहरे ही है। अब भविष्य में मुझे मधु बौहरे के नाम से ही जाना जाये।

पुराना नाम :

(रजनी पाठक)

पिता-श्री विश्वनाथ पाठक।

(1129-बी.)

नया नाम :

(मधु बौहरे)

(MADHU BOHARE)

पति-श्री नवल किशोर बौहरे,

निवासी-गेड़े वाली सड़क,

लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्र का नाम चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में विवाह विच्छेद के पूर्व बुरहानुद्दीन खरसूदवाला (Burhanuddin Kharsudwala) लिखा गया है। जिसे विवाह विच्छेद हो जाने से बदलकर बुरहानुद्दीन पाटनवाला (Burhanuddin Patanwala) माता मारिया पाटनवाला (Mariya Patanwala) कर लिया है। सो विदित होवे।

मारिया खरसूदवाला,

105-बी, बद्री बाग कॉलोनी,

लोकमान्य नगर के पीछे,

इन्दौर (म.प्र.).

(1130A-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह होने के बाद मेरा नाम मारिया पति मुस्तफा खरसूदवाला (Mariya W/o Mustafa Kharudsawala) हो गया था। मेरा विवाह-विच्छेद हो जाने से मैंने मेरा नाम बदलकर मारिया पाटनवाला (Mariya Patanwala) पिता अली हुसैन पाटनवाला (Ali Hussain Patanwala) कर लिया है। सो विदित होवे।

पुराना नाम :

(मारिया खरसूदवाला)

105-बी, बद्री बाग कॉलोनी,
लोकमान्य नगर के पीछे,
इन्दौर (म.प्र.)。

(1130-बी.)

नया नाम :

(मारिया पाटनवाला)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, अजय भैंसारे पिता श्री भारत सिंह भैंसारे, आयु 28 वर्ष जन्म 27-03-1992 के नाम से अभी तक जाना, पहचाना जाता रहा हूँ किन्तु मुझे 09-05-2005 को श्री रामगोपाल बिल्लौरे एवं पत्नी पार्वति बाई बिल्लौरे ने न्यायालय उप-पंजीयक कार्यालय इटारसी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से दत्तक पुत्र लिया गया है व मेरे पिता श्री भारत सिंह भैंसारे, माता श्रीमती रामबाई भैंसारे द्वारा सौंपा गया है। जिस कारण अब मैं अपना नाम व वल्दियत परिवर्तित करा रहा हूँ और अब हर शासकीय अभिलेखों, कार्यालयों में मैं स्वतः को अजय बिल्लौरे पिता श्री रामगोपाल बिल्लौरे के नाम से संबोधित करूँगा व अब से इसी नाम से पहचाना जाऊँगा। अतः सर्वजनिक सूचना के माध्यम से मैं हर आमखास को अवगत करा रहा हूँ कि मेरा नाम अब अजय भैंसारे के स्थान पर अजय बिल्लौरे पिता श्री रामगोपाल बिल्लौरे समझा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(अजय भैंसारे)

पिता-श्री भारत सिंह भैंसारे।

(1131-बी.)

नया नाम :

(अजय बिल्लौरे)

पिता-श्री रामगोपाल बिल्लौरे,

पता- इन्द्रा नगर, न्यू यार्ड, इटारसी,

जिला होशंगाबाद (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. ठाकुरदास एण्ड कम्पनी क्रमांक ARG/फर्म/1927/97/26-09-97 सन् 1997 रजिस्टर्ड ऑफिस पंसारी बाजार, मुरैना पर स्थित है। जिसमें तीन साझेदार हैं। श्री राजेन्द्र कुमार चौदिल, श्रीमती जावित्री देवी, गोविन्द चौदिल हैं। श्रीमती जावित्री देवी का 26-11-2006 को निधन होने की वजह से उक्त फर्म से दिनांक 27-11-2006 को अन्य साझेदारों से अलग हो चुकी हैं। भविष्य में इनका उक्त फर्म से कोई लेनदेन नहीं होगा। समस्त सूचित हों।

(1132-बी.)

सूचनाकर्ता-
मैसर्स ठाकुरदास एण्ड कम्पनी,
गोविन्द चौदिल,
पंसारी बाजार, मुरैना।

आम सूचना

एतद्वारा आम जनता को व सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म अग्रवाल ऑटोमोबाईल्स, भगवानगंज, सागर भागीदारी फर्म की ओर से फर्म के भागीदार विलेख में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है। श्री आलोक अग्रवाल आत्मज श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, निवासी सनराईज टाउन, सागर (म.प्र.) ने दिनांक 15-01-2020 को अपनी भागीदारी स्वेच्छा से उक्त फर्म से विच्छेद कर दी है तथा श्री आदित्य अग्रवाल आत्मज श्री आलोक अग्रवाल, निवासी सनराईज टाउन, राजीव नगर, सागर (म.प्र.) नये भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं। अब वर्तमान में फर्म अग्रवाल ऑटो मोबाईल्स भगवानगंज, सागर में निम्न भागीदार स्थापित हैं जो कि फर्म से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन करेंगे।

1. श्री संजय अग्रवाल आत्मज श्री स्व. आर. के. अग्रवाल, निवासी-शांति बिहार, मकरेनिया, सागर (म.प्र.).
2. श्री आदित्य अग्रवाल आत्मज श्री आलोक अग्रवाल, निवासी-सनराईज टाउन, राजीव नगर, सागर (म.प्र.).

अतः एतद् सूचना अनुसार फर्म के

फर्म की ओर से सूचनार्थ,
संजय अग्रवाल,
(भागीदार)।

अग्रवाल ऑटोमोबाईल्स, भगवानगंज, सागर (म.प्र.).

(1133-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री बालाजी इंटरप्राइजेस, 101, गोल्ड स्टार बिल्डिंग एम. जी. रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश पर स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 100/13, दिनांक 06-08-2013 है. जिसमें दिनांक 30-03-2016 से फर्म मुख्य कार्यालय परिवर्तन कर 116 महाश्वेता नगर, उज्जैन मध्यप्रदेश कर दिया गया है एवं दिनांक 31-10-2014 से मैसर्स श्रीनिवास बोर्ड एवं पेपर्स प्रायवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 68, इंडस्ट्रियल एरिया मक्सी रोड, उज्जैन मध्यप्रदेश जिसका वर्तमान रजिस्टर्ड ऑफिस 42-44 इंडस्ट्रियल एरिया नं. 01 देवास 455001 फर्म में तीसरे भागीदार के रूप में समिलित हो गई है, यह सूचना आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो।

वास्ते-मैसर्स श्री बालाजी इंटरप्राइजेस,
आनंद बांगड़,
(भागीदार).

101, गोल्ड स्टार बिल्डिंग एम. जी. रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(1134-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मैसर्स आशा रियल इस्टेट जिसका पंजीयन 03/27/03/00138/008 व पंजीयन दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 है तथा फर्म का पंजीकृत पता 284/285 साकेत नगर, इन्दौर है. जिसमें पंजीयन के समय दो भागीदार (1) डॉ. प्रकाश बागानी पिता श्री लालचंद बागानी, (2) श्रीमती सरोज बागानी पति डॉ. प्रकाश बागानी थे. तत्पश्चात् दिनांक 26-07-2006 को फर्म में दो नए भागीदार (1) श्री भास्कर भाई ए. पटेल पिता श्री आपा भाई पटेल, (2) श्री श्वेतांक श्रीमाल शामिल हुए एवं दिनांक 01-09-2006 को इसमें दो भागीदार (1) डॉ. प्रकाश बागानी पिता श्री लालचंद बागानी, (2) श्रीमती सरोज बागानी पति डॉ. प्रकाश बागानी ने रिटायर होने की इच्छा प्रकट की जिसे चालू रहने वाले साझेदारों ने स्वीकार कर लिया इसके बाद दिनांक 13-02-2012 को फर्म में दो नए भागीदारों (1) श्री भूपेश संघवी पिता स्व. श्री जयंतीलाल संघवी, (2) श्री आयुष अग्रवाल पिता श्री अजय अग्रवाल को फर्म में शामिल कर लिया साथ ही फर्म का नया मुख्य कार्यालय 211, अनूप नगर, ग्राउण्ड फ्लोर, इन्दौर करने का निर्णय लिया. तत्पश्चात् दिनांक 11-11-2012 को फर्म के एक भागीदार श्री भास्कर भाई पटेल की मृत्यु हो जाने से उनके एकमात्र वारिस श्री निखिल भाई पटेल ने भी फर्म से रिटायर होने की इच्छा प्रकट की जिसे तीनों भागीदारों ने स्वीकार कर लिया तथा वर्तमान में फर्म में 3 भागीदारी (1) श्री श्वेतांक श्रीमाल पिता श्री पवन श्रीमाल, (2) श्री भूपेश संघवी पिता स्व. श्री जयंतीलाल संघवी एवं (3) श्री आयुष अग्रवाल पिता श्री अजय अग्रवाल है.

जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

फर्म-मैसर्स आशा रियल इस्टेट,
श्वेतांक श्रीमाल,
(भागीदार).

(1135-बी.)

पता-284-285, साकेत नगर, इन्दौर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स होटल रॉयल इन्न, पता-मिलेनियम टॉवर, सिटी सेन्टर मेन रोड, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00172/09, को पंजीकृत हुई है. जिसमें दिनांक 14-09-2019 को अजय मंगल पुत्र श्री राकेश मंगल एवं शरद मंगल पुत्र श्री राकेश मंगल को नये भागीदार के रूप में समिलित किया गया है एवं उसी दिनांक को आर्यन गुप्ता पुत्र श्री अजय कुमार गुप्ता अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हुये हैं एवं दिनांक 22-11-2019 को अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामसेवक गुप्ता अपनी स्वेच्छा से पृथक् हुये हैं.

आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

फर्म-मैसर्स होटल रॉयल इन्न,
अजय मंगल,
(भागीदार).

पता-मिलेनियम टॉवर सिटी सेन्टर,
मेन रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

(1136-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा प्र.क्र.0005/बी-113(1)/2019-20.

दिनांक 21 जनवरी, 2020 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

जैसाकि श्री बलीराम पिता तुलसीराम चौधरी, निवासी पांजरिया, तहसील खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक

न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 24 फरवरी, 2020 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम	:	“श्री रेवा गुर्जर समाज मांगलिक भवन ग्राम पांजरिया”।
पता	:	तहसील खण्डवा।
अचल संपत्ति	:	निरंक।
चल संपत्ति	:	10,00,000/- नगद।

संजीव केशव पाण्डेय,

(295)

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर (फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.223/रीडर-1/19.—“श्वेताम्बर जैन महासंघ न्यास”, पता-90, जवरा कम्पाउण्ड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायर के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्वेताम्बर जैन महासंघ न्यास”।
पता	:	90, जवरा कम्पाउण्ड, इन्दौर।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक।
चल सम्पत्ति	:	रुपये 51,000/- (अक्षरी रुपये इक्कावन हजार मात्र)।

आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शाश्वत शर्मा,

(296)

पंजीयक।

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा, जिला हरदा

रा.प्र.क्र.02/बी-113(1)वर्ष 2019-20.

श्री रामेश्वरम् सेवा न्यास ओर से चन्द्रकांत आ. प्रतापनारायण त्रिपाठी, हॉडिया, जिला हरदा-आवेदक

विरुद्ध

सर्वसाधारण

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक मुख्य न्यासी श्री रामेश्वरम् सेवा न्यास हॉडिया, तहसील हॉडिया, जिला हरदा के नाम से सार्वजनिक लोक न्यास का गठन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1955 की धारा-4 के तहत् आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया है। लोक न्यास के संचालन हेतु मौजा-हॉडिया स्थित कृषि भूमि ख. नं. 253/4 रकबा 2.650 हैक्टेयर भूमि को संलग्न किया है तथा अन्य परिसम्पत्तियों एवं न्यास संचालन का बॉयलॉज प्रस्तुत किया है।

सर्व-साधारण के संज्ञान में लाया जाता है कि उक्तानुसार लोक न्यास में यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो वह पेशी दिनांक 25 फरवरी, 2020 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, बाद नियत तिथि के गुजरने के प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन अनुसार न्यास का गठन कर दिया जावेगा।

उद्घोषणा आज दिनांक 21 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर उपरांत मेरी पदमुद्रा एवं न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया जाता है।

(297)

हरी सिंह चौधरी,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दमोह

प्रारूप क्रमांक-04

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दमोह, जिला दमोह के समक्ष।

यतः अध्यक्ष तारण तरण दिग्म्बर जैन चैत्यालय जी पुराना गल्ला मंडी मांगज वार्ड नं. 02 दमोह सार्वजनिक न्यास दमोह की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज हर्ष श्रीवास्तव द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 03 फरवरी, 2020 को 02:00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : अध्यक्ष तारण-तरण दिग्म्बर जैन चैत्यालय जी पुराना गल्ला मंडी मांगज वार्ड नं. 02 दमोह सार्वजनिक न्यास दमोह।
2. न्यास की अचल/चल सम्पत्ति : प्लॉट 40X40=1600 वर्गफुट मकान राशि 15,11,000/-.

रवीन्द्र चौकसे,
पंजीयक।

(298)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट क्षेत्र धार, जिला धार

धार, दिनांक 17 जनवरी, 2020

फार्म नम्बर-3

[देखिये नियम-4(2)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 (तीस 1951) की धारा-4 के तहत न्यास पंजीयन बाबद]

समक्ष:-रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला धार।

क्र./267/रीडर/2020.— चूंकि ट्रस्ट “श्री आंकडेश्वर महादेव” श्री महालक्ष्मीनारायण मंदिर गौड़ आद्य गौड़, ब्राह्मण समाज (बंशीधर कलावती देवी दुबे) न्यास” ने इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बावद् मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1950 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है, याद रखे की उपर दिए हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 15 अप्रैल, 2020 को किया जावेगा।

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बावद् कोई विरोध कराने का इशारा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीब करें और मेरे समक्ष दिनांक 15 अप्रैल, 2020 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुए आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेंगी।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : “श्री आंकडेश्वर महादेव” श्री महालक्ष्मीनारायण मंदिर गौड़ आद्य गौड़, ब्राह्मण समाज (बंशीधर कलावती देवी दुबे) न्यास”.
2. चल सम्पत्ति : 11000/- रुपये.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 15 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी।

वीरेन्द्र कटारे,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(299)

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर, जिला शाजापुर

प्रक्र.01/बी-113/2019-20.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-5(2) ओर मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1952 का नियम-5(1) देखिए] पंजीयक लोक न्यास शाजापुर, जिला शाजापुर के समक्ष।

चूंकि राठौर क्षत्रिय समाज न्यास शाजापुर की ओर से अधिकृत अध्यक्ष श्री संजय राठौर पिता बनवारीलाल जी, निवासी वजीरपुरा शाजापुर द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत जो कि सम्पूर्ण समाज के उत्थान व सामाजिक कुरितियों को दूर करने तथा धार्मिक एवं परमाधिक तथा मांगलिक कार्यक्रम सुव्यवस्थित आयोजित करने व जन जागरूकता गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी चल-अचल सम्पत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है। सर्व संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो व इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैथ प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट “अ”

न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण

रामजी की मूर्ति 45 इंच, सीताजी की मूर्ति 45 इंच, लक्ष्मणजी की मूर्ति 22-1/2 इंच, हनुमान जी की मूर्ति 24 इंच, दुर्गामाता जी की मूर्ति 24 इंच, आरती मशीन 1 नग, माईक सेट 1 नग, घंटाल 2 नग, ढोलक 1 नग, गोदरेज अलमारी 2 नग, अभिषेक पात्र 1 नग, झालर 2 नग, दीपक 2 नग, आरती एवं भोग थाली 2 नग, तांबा लोटा छोटा 2 नग, दीपक आरती 1 नग, हाथ घण्टी 1 नग, सूर्यभगवान पीतल 1 नग, दीवाल घड़ी 1 नग, बालमुकुन्दजी की मूर्ति 3 नग, राधाकृष्णजी की मूर्ति छोटी 1 नग, छोटी पेटी लोहे की 1 नग, अगरबत्ती स्टेण्ड 1 नग, जेवर मुकुट एवं नगदी आदि भगवान मुकुटबडा 6 नग, वनज 1850 ग्राम चांदी, भगवान मुकुट छोटा 3 नग, वनज 190 ग्राम चांदी भारतीय स्टैट बैंक, शाखा चौक बाचार, शाजापुर में खाता क्रमांक 3493083576 में जमा राशि रुपये 6,57,449/- एवं परात तांबा बड़ी 2 नग, परात पीतल बड़ी 1 नग, परात बर्तन बड़ी 4 नग, टंकी स्टील 1 नग, जर्मन तपेला बडा 8 नग, धामा स्टील 14 नग, सब्जी कमण्डल 2 नग, कडई बड़ी 3 नग, कडई छोटी 2 नग, बिस्तर पेटी 2 नग, जलेबी तई 1 नग, गैस भट्टा 6 नग, इमामदस्ता लोहे का 1 नग, सब्जी डोरी 3 नग, कमण्डल 15 नग, स्टील डिब्बा 2 नग, स्टील बालटी 19 नग, जग 9 नग, तगारी छोटी लोहे की 11 नग, टे 16 नग, चम्मच छोटी 24 नग, डोंग पुरी का बडा 6 नग, थाली खाने वाली 500 नग, कटोरी 1500 नग, डम प्लास्टिक 1 नग, छत पंखा 16 नग, घोड़ी (सीडी) 2 नग, पानी की मोटर कुण्डी में 1 नग, डोल ग्यारस का रथ 1 नग।

परिशिष्ट “ब”

न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण

शाजापुर नगर पालिका स्थित वार्ड क्रमांक 123 मोहल्ला तेलीवाडा, शाजापुर में स्थित श्रीराम मंदिर जिसका रकबा 356 वर्गफीट जो नगर पालिका, शाजापुर जो नगर पालिका शाजापुर में श्रीराम मंदिर क्षत्रिय राठौर समाज के नाम से दर्ज है एवं मंदिर तेलीवाडा सरपरस्त रामचन्द्र पिता मुन्नालाल जी जो राठौर समाज धर्मशाला जिसका कुल क्षेत्रफल 4740 वर्गफीट पर धर्मशाला निर्मित है एवं अन्य भवन राठौर क्षत्रिय समाज द्वारा सरपरस्त मांगीलाल पिता सेवाराम जो तेलीवाडा में स्थित होकर वार्ड क्रमांक 9 पुराना नया वार्ड क्रमांक 11 जिसका कुल क्षेत्रफल 3920 वर्गफीट है, न्यास की सम्पत्ति होगी।

आज दिनांक 28 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(300)

यू. एस. मरावी,
अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत्त, भोपाल

प्र. क्र. /बी-113/19-20.

भोपाल, दिनांक 07 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) तथा

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 का उपनियम (1) के अन्तर्गत]

समक्ष, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर वृत्त, भोपाल.

क्र./155/रीडर/नजूल/2020.—चूंकि आवेदक श्री सुखवीर सिंह आत्मज श्री प्रताप सिंह, निवासी-80, सिंगारचोली, एयरपोर्ट रोड, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल व अन्य द्वारा “जय संतोषी माता मंदिर प्रबंध ट्रस्ट” सिंगारचोली एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.) का पंजीयन लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से लिखित में दो प्रतियों में उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम व पता	:	“जय संतोषी माता मंदिर प्रबंध ट्रस्ट”. सिंगारचोली एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.). तहसील हुजूर, जिला भोपाल।
अचल सम्पत्ति	:	संस्था की प्रारंभिक अचल सम्पत्ति:- निरंक
चल सम्पत्ति	:	11,001/-

मनोज उपाध्याय,

रजिस्ट्रार,

(301)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रतलाम

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि रतलाम जिले के आबकारी बकायादारों से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत अवशेष बकाया राजस्व की वसूली की जाना है। इस हेतु सम्बंधित बकायादारों की चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी संकलित की जानी है। जिससे सम्बंधित से नियमानुसार वसूली की कार्यावाही की जा सकें। इस सम्बन्ध में जिस किसी को भी इनकी चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी हो तो वह कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, महलवाडा, जिला रतलाम को 15 दिवस में सूचित करने का कष्ट करें। सूचना देने वाले को उचित ईनाम दिया जायेगा:-

क्र.	बकायादार का नाम एवं पता	बकायेदार का फोटो	वर्ष	वर्ष एवं बकाया का प्रकार	बकाया राशि
1.	श्री अमनदीप पिता सतपाल सिंह निवासी-साँई धाम कॉलोनी, जावरा, जिला रतलाम।		2013-14	पी. एस.2 लायसेंस ढोढ़र के खिसारे की बकाया राशि।	13,33,013/-
2.	श्री दशरथ सिंह पिता अमरसिंह राजपुत निवासी-करिया, तहसील मसुदा, जिला अजमेर (राजस्थान)।		2012-13	पी. एस.2 लायसेंस ढोढ़र के खिसारे की बकाया राशि।	63,84,885/-
3.	श्री भेरोसिंह पिता रूघनाथ सिंह निवासी-ग्राम मुंज, तहसील आलोट जिला रतलाम।		2015-16	देशी मदिरा दुकान लूनी 45,44,735/- समुह एवं शेरपुर आलोट की खिसारे की बकाया राशि।	

क्र.	बकायादार का नाम एवं पता	बकायेदार का फोटो	वर्ष	वर्ष एवं बकाया का प्रकार	बकाया राशि
4.	श्री जीवनसिंह पिता मोहनलाल, निवासी-भाटरेवास, तहसील व जिला मंदसौर.		2015-16	पी. एस.2 नामली की लायसेंस की बकाया राशि.	1,99,23,187/-
5.	श्री भंवरसिंह पिता दैलत सिंह देवडा, निवासी-रिछोदवडा, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम.		2015-16	पी. एस.2 जावरा लायसेंस की बकाया राशि.	36,05,969/-
6.	श्री रामलक्ष्मण पिता बापुलाल धाकड़, निवासी-ग्राम बडवन, तहसील व मंदसौर.		2015-16	विदेशी मदिरा दुकान बरखेडाकला समूह के खिसारे की बकाया राशि.	17,75,982/-
7.	श्री अंशुमनकृष्णन पिता श्री विजय कृष्णन, निवासी-81/1, न्यु सिगनल विहार महू, जिला इन्दौर.		2018-19	विदेशी मदिरा दुकान समूह सैलाना की न्युनतम प्रत्याभूत दियुटी राशि/लायसेंस खिसारे की राशि/शेष रहे स्कंध की राशि शासकीय मदिरा दुकान संचालन में खर्च हुई राशि एवं जुर्माने की राशि.	16,86,094/-

जगदीश राठी,

सहायक आबकारी आयुक्त.

(302)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 356, दिनांक 16 फरवरी, 2016, दुआध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदी, तहसील कन्नौद, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1466, दिनांक 02 जुलाई, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1735, दिनांक 11-10-2019 से श्री बी. एल. गोठवाल, सह. निरी. वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(237)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1133, दिनांक 19 जून, 2013, श्रीनाथ प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 917, दिनांक 09 फरवरी, 2013 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69

के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री विनोद गोसाई, उप अंकेक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1733, दिनांक 11-10-2019 से श्री डी. के. आर्य, उप. अंके. वर्तमान में परिसमापक है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(238)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 364, दिनांक 16 फरवरी, 2016, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भंवरा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1489, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1735, दिनांक 11-10-2019 से श्री बी. एल. गोठवाल, सह. निरी. वर्तमान में परिसमापक है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(239)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1124, दिनांक 16 अप्रैल, 2013, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जीवाजीपुरा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1228, दिनांक 15 मई, 2006 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एच. आर. मालवीय, पर्यवेक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09-08-2017 से श्रीमती अनिता मेहरा, सह. निरी. वर्तमान में परिसमापक है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

मनोज कुमार गुप्ता,
उप-पंजीयक।

(240)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1)सी/ग के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन नियुक्त आदेश
		क्रमांक/दिनांक	क्रमांक/दिनांक
1.	बन श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., मथवाड	326/25-05-1964	765/15-07-2019
2.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बखतगढ़	350/30-03-1992	763/15-07-2019
3.	आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कट्ठीवाड़ा.	07/21-12-2010	769/15-07-2019
4.	गांधी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., धनपुर	36/08-07-2014	641/24-06-2019
5.	चेतना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुण्डवाट	05/25-08-2010	770/15-07-2019
6.	आदिवासी चेतना उन्नत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्बी	09/26-02-2011	553/18-09-2017

अतः मैं, बी. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (संयुक्त जिला कार्यालय रूम नं. 220) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियाँ पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

बी. एस. सोलंकी,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(241)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1)सी/ग के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन नियुक्त आदेश
		क्रमांक/दिनांक	क्रमांक/दिनांक
1.	निरा ताडगुड उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर.	830/07-11-1958	427/16-09-2010
2.	रेत खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या., राजावट	735/14-12-1992	445/18-10-2012
3.	सरस्वती महिला साख सहकारी संस्था मर्या., जुवानिया	38/08-07-2014	271/06-05-2015
4.	आजाद महिला साख सहकारी संस्था मर्या., चन्द्र शेखर आजाद नगर.	42/08-07-2014	273/06-05-2015
5.	आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चन्द्र शेखर आजाद नगर.	46/08-07-2014	56/22-02-2016

अतः मैं, अमित सिंह, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (संयुक्त जिला कार्यालय रूम नं. 220) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(242)

अमित सिंह,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1)सी/ग के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन नियुक्त आदेश
		क्रमांक/दिनांक	क्रमांक/दिनांक
1.	आदिवासी ईंट कबेलू निर्माण सहकारी समिति मर्या., घोंघसिया	537/24-04-1987	554/18-09-2017
2.	श्री देवी अहिल्या बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बुरमा	48/08-07-2014	554/18-09-2017
3.	श्रीजी डोलोमाईट औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., अलीराजपुर	516/05-12-1983	554/18-09-2017

अतः मैं, संगीता चौहान, उप अंकेक्षण, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करती हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (संयुक्त जिला कार्यालय रूम नं. 220) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(243)

संगीता चौहान,

उप अंकेक्षक एवं परिसमापक।

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1)सी/ग के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन नियुक्त आदेश
		क्रमांक/दिनांक	क्रमांक/दिनांक
1.	चन्द्रशेखर आजाद बुनकर सहकारी समिति मर्या., अलीराजपुर	470/16-09-1980	432/16-09-2010
2.	आदर्श बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामन्दा	49/08-07-2014	276/06-05-2015

अतः मैं, जी. के. वाणी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था

के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (संयुक्त जिला कार्यालय रूम नं. 220) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(244)

जी. के. वाणी,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1)सी/ग के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन नियुक्त आदेश
			क्रमांक/दिनांक
1.	बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बलेडी	849/25-02-1965	442/16-09-2010
2.	मालगढ महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मालवाई	37/08-07-2014	270/06-05-2015

अतः मैं, व्हाय. एस. वाघेला, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियाँ या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (संयुक्त जिला कार्यालय रूम नं. 220) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(245)

व्हाय. एस. वाघेला,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

रीवा, दिनांक 25 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/185.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2296, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 के द्वारा अनुरूद्ध बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनौरी, पंक्र.1175/28-10-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अनिल कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्ध्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुरूद्ध बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनौरी, पंक्र.1175/28-10-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(303)

व्ही. के. पाण्डेय,

उप-पंजीयक।

कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/672.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2016/848, बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016 के द्वारा परिसमापक ग्रामीण महिला बहु संस्था मर्या., पिपरखेड़ा, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 97, दिनांक 19 मई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ।

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(246)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/673.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/476, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापक प्रयास साख सहकारी संस्था मर्या., ठीकरी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 494, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ।

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(247)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/674.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/439, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापक आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सेंधवा, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 465, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ।

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(248)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/675.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2012/611, बड़वानी, दिनांक 07 अगस्त, 2012 के द्वारा परिसमापक फसल सुरक्षा साख सहकारी संस्था मर्या., राजपुर, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 25 मई, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अनिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ।

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(249)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/676.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2019/391, बड़वानी, दिनांक 14 अगस्त, 2019 के द्वारा परिसमापक शक्ति पूँज ग्रामीण महिला बहु संस्था मर्या., झोलपिपरी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 122, दिनांक 16 जुलाई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री विजय कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अनिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ।

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(250)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/677.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/462, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापक रिढ़ी-सिढ़ी साख सहकारी संस्था मर्या., कसरावद, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 481, दिनांक 29 अप्रैल, 2017 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक काग, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ।

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(251)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/678.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/444, बड़वानी, दिनांक 13 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापक दिपीका साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 390, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ।

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(252)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/680.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2018/942, बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018 के द्वारा परिसमापक दि. सुरेश संचेती साख सहकारी संस्था मर्या., खेतिया, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 430, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. तराले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ।

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(253)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/679.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/450, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापक मारूती साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 424, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. चौहान, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ।

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(254)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/681.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/443, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापक द्वारिका साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 470, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री विजय कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ।

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(254-A)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/682.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2016/817, बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016 के द्वारा परिसमापक ग्रामीण डाक सेवक साख सहकारी संस्था मर्या., ठीकरी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 43, दिनांक 26 फरवरी, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ।

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(255)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/683.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/475, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापक जय किसान बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., ओझर, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 485, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री विजय कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ,

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(256)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/684.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/486, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापक माँ मेलडी साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 405, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ,

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(257)

बड़वानी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/685.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2018/923, बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018 के द्वारा परिसमापक माँ भगवती बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., लोनसराखुर्द, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 479, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. तरोले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय करता हूँ,

आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(258)

संजयसिंह आर्य,
सहायक पंजीयक।

कार्यालय, परिसमापक ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गुनौर

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गुनौर पंजीयन क्र. 558/28-08-2003, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 1304/18-09-2019 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गुनौर पंजीयन क्र. 558/28-08-2003 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखापुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(281)

कार्यालय, परिसमापक विश्वकर्मा काष्टकला श्रमिक सहकारी समिति मर्या., पन्ना

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि विश्वकर्मा काष्टकला श्रमिक सहकारी समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 660/30-03-2011, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 813/10-04-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए विश्वकर्मा काष्टकला श्रमिक सहकारी समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 660/30-03-2011 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखापुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(282)

कार्यालय, परिसमापक ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहउ. सहकारी समिति, समाना

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहउ. सहकारी समिति, समाना पंजीयन क्र. 601/03-07-2004, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 467/09-03-2011 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहउ. सहकारी समिति, समाना पंजीयन क्र. 601/03-07-2004 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखापुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(283)

कार्यालय, परिसमापक ग्राम स्त. आदर्श महिला बहउ. सहकारी समिति मर्या., रहुनिया

दिनांक 31 जनवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि ग्राम स्त. आदर्श महिला बहउ. सहकारी समिति मर्या., रहुनिया पंजीयन क्र. 446/02-08-2002, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 811/10-04-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए ग्राम स्त. आदर्श महिला बहुउ. सहकारी समिति मर्या., रहनिया पंजीयन क्र. 446/02-08-2002 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

विष्णु कुमार दीक्षित,
सहकारी निरीक्षक।

(283-A)

कार्यालय, परिसमापक आदि. पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सह. समि. मर्या., हडा

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि आदि. पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सह. समि. मर्या., हडा पंजीयन क्र. 372/01-08-1996, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2190/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए आदि. पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सह. समि. मर्या., हडा पंजीयन क्र. 372/01-08-1996 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(259)

कार्यालय, परिसमापक भगवान शंकर यातायात सहकारी समिति मर्या., सिमराकला

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि भगवान शंकर यातायात सहकारी समिति मर्या., सिमराकला पंजीयन क्र. 348/19-03-1993, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2190/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए भगवान शंकर यातायात सहकारी समिति मर्या., सिमराकला पंजीयन क्र. 348/19-03-1993 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(260)

कार्यालय, परिसमापक ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., इन्द्रपुरी पन्ना

दिनांक 30 जनवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

क्र./परि/2019/क्यू.—यहकि ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., इन्द्रपुरी पन्ना पंजीयन क्र. 537/10-06-2003, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2190/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., इन्द्रपुरी पन्ना पंजीयन क्र. 537/10-06-2003 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(261)

कार्यालय, परिसमापक आदि. खनिज एवं वनो. उद्योग सह. समिति मर्या., मनौर

दिनांक 30 जनवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

क्र./परि/2019/क्यू.—यहकि आदि. खनिज एवं वनो. उद्योग सह. समिति मर्या., मनौर पंजीयन क्र. 282/05-03-1987, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2190/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए आदि. खनिज एवं वनो. उद्योग सह. समिति मर्या., मनौर पंजीयन क्र. 282/05-03-1987 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(262)

कार्यालय, परिसमापक माँ वेष्णो प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., पबई

दिनांक 30 जनवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

क्र./परि/2019/क्यू.—यहकि माँ वेष्णो प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., पबई पंजीयन क्र. 630/21-08-2007, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2190/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए माँ वेष्णो प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., पबई पंजीयन क्र. 630/21-08-2007 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(263)

कार्यालय, परिसमापक चौमुखनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कल्दा

दिनांक 30 जनवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

क्र./परि/2019/क्यू.—यहकि चौमुखनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कल्दा पंजीयन क्र. 624/29-04-2006, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2190/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए चौमुखनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कल्दा पंजीयन क्र. 624/29-04-2006 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(264)

उमेश श्रीवास्तव,
सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय, परिसमापक ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहु. उ. सह. समिति मर्या., कांटी

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहु. उ. सह. समिति मर्या., कांटी पंजीयन क्र. 455/21-11-2002, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2189/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहु. उ. सह. समिति मर्या., कांटी पंजीयन क्र. 455/21-11-2002 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(265)

कार्यालय, परिसमापक एकलब्ध आदि. पत्थर ख. श्रमिक मज. सह. मर्या., सकतरा

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि एकलब्ध आदि. पत्थर ख. श्रमिक मज. सह. मर्या., सकतरा पंजीयन क्र. 381/25-01-1997, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2189/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए एकलब्ध आदि. पत्थर ख. श्रमिक मज. सह. मर्या., सकतरा पंजीयन क्र. 381/25-01-1997 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(266)

कार्यालय, परिसमापक प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सह. समिति मर्या., पन्ना

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सह. समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 408/19-10-2000, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2189/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सह. समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 408/19-10-2000 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(267)

कार्यालय, परिसमापक बुनकर सहकारी समिति मर्या., पन्ना

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि बुनकर सहकारी समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 28/20-04-1959, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2189/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए बुनकर सहकारी समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 28/20-04-1959 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि

के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्षों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(268)

कार्यालय, परिसमापक हरि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बधवारकला

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि हरि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बधवारकला पंजीयन क्र. 355/04-07-1994, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 1319/18-09-2019 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए हरि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बधवारकला पंजीयन क्र. 355/04-07-1994 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्षों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(269)

कार्यालय, परिसमापक ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहु. उ. सह. समि., भुलगवां

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहु. उ. सह. समि., भुलगवां पंजीयन क्र. 585/24-01-2004, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2189/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहु. उ. सह. समि., भुलगवां पंजीयन क्र. 585/24-01-2004 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्षों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(270)

राजीव तिवारी,
परिसमापक।

कार्यालय, परिसमापक श्रीधाम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., पन्ना

दिनांक 30 जनवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि श्रीधाम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 359/01-11-1994, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2188/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए श्रीधाम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 359/01-11-1994 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी

दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(271)

कार्यालय, परिसमापक खनिज बनोपज एवं पत्थर सह. समि. मर्या., जमुनहाई

दिनांक 30 जनवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि खनिज बनोपज एवं पत्थर सह. समि. मर्या., जमुनहाई पंजीयन क्र. 611/05-10-2004, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2188/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए खनिज बनोपज एवं पत्थर सह. समि. मर्या., जमुनहाई पंजीयन क्र. 611/05-10-2004 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(272)

कार्यालय, परिसमापक आदि. पत्थर ख. श्रमि. मज. एवं बनो. सह. समिति, देवराकला

दिनांक 30 जनवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि आदि. पत्थर ख. श्रमि. मज. एवं बनो. सह. समिति, देवराकला पंजीयन क्र. 385/21-05-1997, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2188/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए आदि. पत्थर ख. श्रमि. मज. एवं बनो. सह. समिति, देवराकला पंजीयन क्र. 385/21-05-1997 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(273)

कार्यालय, परिसमापक हरि. ईंट निर्माण एवं पत्थर मज. सह. समि. मर्या., सिलधरा

दिनांक 30 जनवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि हरि. ईंट निर्माण एवं पत्थर मज. सह. समि. मर्या., सिलधरा पंजीयन क्र. 397/02-07-1999, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2188/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए हरि इंट निर्माण एवं पत्थर मज. सह. समि. मर्या., सिलधरा पंजीयन क्र. 397/02-07-1999 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(274)

कार्यालय, परिसमापक पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., पन्ना

दिनांक 30 जनवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 399/03-07-1999, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2188/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 399/03-07-1999 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(275)

कार्यालय, परिसमापक अधिवक्ता गृह निर्माण सह. समिति मर्या., पन्ना

दिनांक 30 जनवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि अधिवक्ता गृह निर्माण सह. समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 622/24-03-2006, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 2188/21-12-2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए अधिवक्ता गृह निर्माण सह. समिति मर्या., पन्ना पंजीयन क्र. 622/24-03-2006 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(276)

विनोद कुमार मिश्रा,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

कार्यालय, परिसमापक शा. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., पबई

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि शा. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., पबई पंजीयन क्र. 354/09-05-1994, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 1003/31-07-2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए शा. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., पबई पंजीयन क्र. 354/09-05-1994 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(277)

कार्यालय, परिसमापक प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सह. समिति मर्या., पबई

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सह. समिति मर्या., पबई पंजीयन क्र. 407/12-10-2000, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 1003/31-07-2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए प्राथमिक सेनेटरी मार्ट सह. समिति मर्या., पबई पंजीयन क्र. 407/12-10-2000 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(278)

कार्यालय, परिसमापक हरि. एवं आदि. खनिज उद्योग सह. समि. मर्या., पबई

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि हरि. एवं आदि. खनिज उद्योग सह. समि. मर्या., पबई पंजीयन क्र. 275/05-07-1984, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 1003/31-07-2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए हरि. एवं आदि. खनिज उद्योग सह. समि. मर्या., पबई पंजीयन क्र. 275/05-07-1984 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(279)

कार्यालय, परिसमापक आदि. खनिज एवं वनो. उद्योग सह. समिति मर्या., झाझर

[नियम-57(ग) के तहत् दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन]

यहकि आदि. खनिज एवं वनो. उद्योग सह. समिति मर्या., झाझर पंजीयन क्र. 283/11-03-1987, जिला पन्ना को सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पन्ना के आदेश क्र. 1003/31-07-2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए आदि. खनिज एवं वनो. उद्योग सह. समिति मर्या., झाझर पंजीयन क्र. 283/11-03-1987 से संबद्ध समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि

में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी।

(280)

यू. व्ही. एस. राठौर,
व.स.नि. एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/148.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/2795, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के द्वारा जनकलली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बारहा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2080 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनकलली बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बारहा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2080 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 17 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(284)

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/149.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/88, दिनांक 06 जनवरी, 2017 के द्वारा माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पडुआ, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1874 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पडुआ, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1874 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 17 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(285)

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/150.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/1376, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुकरी, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 957 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत

परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुकरी, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 957 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 17 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(286)

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/151.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/2489, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 के द्वारा जय माँ नाहन देवी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ककरेहटा, तहसील पाटन, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2050 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी. एम. सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय माँ नाहन देवी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ककरेहटा, तहसील पाटन, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2050 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 17 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(287)

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/153.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/469, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सिहोरा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 231 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री ललित जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सिहोरा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 231 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 17 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(288)

शिवम् मिश्रा,
उप-पंजीयक।

कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 21 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत]

क्र./परि./2020/70.—जिले में स्थित गंगा दुग्ध उत्पा. सह. स. मर्या., बदरचुआ, पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 28 फरवरी, 2015 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत गंगा दुग्ध उत्पा. सह. स. मर्या., बदरचुआ, पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 28 फरवरी, 2015 का पंजीयन निरस्त करती हूँ तथा यह भी आदेश देती हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 21 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(289)

शहडोल, दिनांक 21 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत]

क्र./परि./2020/71.—जिले में स्थित महिला बहुउद्देशीय सह. स. मर्या., ढोलर, पंजीयन क्रमांक 1083, दिनांक 04 फरवरी, 2010 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत महिला बहुउद्देशीय सह. स. मर्या., ढोलर, पंजीयन क्रमांक 1083, दिनांक 04 फरवरी, 2010 का पंजीयन निरस्त करती हूँ तथा यह भी आदेश देती हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 21 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(290)

शकुन्तला ठाकुर,
उपायुक्त सहकारिता।

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 01 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/122.—इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2670, राजगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैरसिया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्र. 295, दिनांक 31 अक्टूबर, 1995 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(291)

राजगढ़, दिनांक 01 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/123.—इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2655, राजगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इकलोरा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्र. 396, दिनांक 05 नवम्बर, 1985 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(292)

राजगढ़, दिनांक 01 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/124.—इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/181, राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कांकरवाल, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्र. 535, दिनांक 01 नवम्बर, 1991 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(293)

राजगढ़, दिनांक 01 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/125.—इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012, राजगढ़, दिनांक 09 अगस्त, 2018 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भण्डावल, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ जिसका पंजीयन क्र. 868, दिनांक 28 जून, 2003 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

आर. एस. गौर,
(294) उप-पंजीयक।

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला धार

धार, दिनांक 28 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (अ) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/155.—यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1450, दिनांक 23 अगस्त, 2012 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदिया, तहसील धरमपुरी, जिला धार पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 01 अगस्त, 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई है।

श्री आर. सी. मालवी, व.स.नि. द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2020 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदिया के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, भारती शेखावत, उपायुक्त सहकारिता, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता के ज्ञाप क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करती हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-58 के अंतर्गत परिसमापक श्री आर. सी. मालवीय, व.स.नि. को आदेशित करती हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकों अभिलेख परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकॉर्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

भारती शेखावत,
(304) उपायुक्त सहकारिता।



मैथिप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2020-फालुन 2, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

कार्यालय आयुक्त, भू-आधिकारी एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

- मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सारांहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2019
- मौसम एवं वर्षा:-प्रयः राज्य में मौसम शुष्क रहा. किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
 - प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
 - बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
 - धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
 - खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव नहीं.
 - कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
 - अन्य असामयक घटना से छति :- कोई छति नहीं.
 - फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
 - सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी मूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.
 - पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
 - चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
 - बीजः- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - खेतिहार श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहार श्रमिक उचित रार पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - जिला मण्डला से पत्रक अप्राप्त है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2019

क्र.	जिला	तहसील	सप्ताह में वर्षा जो हुई मि. मी. वर्षा कम/अधिक.	कृषि कार्यों प्रारंभिक जुताई, बोनी पर (रोपाई) पर (धन) कटी हुई	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण का प्रभाव.	y;	क्षति प्रतिशत में	जिले की गत वर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान फसल का क्षेत्रफल-समान या कम प्रतिशत फसल की हालत-समान, बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत	5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त. 6 (अ) चारे की प्राप्ति. 6 (ब) पशुओं की हालत	(7) बीज की प्राप्ति कृषि सम्बन्धी. (8) मजदूरों की प्राप्ति
1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8	9	10
1.	मुरैना :	मुरैना :	बोनी चालू	चना गेहूँ	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
		अम्बाह
		पोरसा
		मुरैना
		जौरा	#REF!
		कैलास
2.	श्योपुर :	सबलगढ़
		श्योपुर	गन्ना राईसरसों	तुअर मटर समान सुधरी हुई	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी. 7. .. 8. पर्याप्त.
		कराहल	गेहूँ मसूर	चना सामान्य सुधरी हुई
		विजयपुर
		बीरपुर
		बडोदा
3.	भिण्ड :	भिण्ड :	जुताई चालू बोनी चालू	राईसरसों चना	अधिक 15% समान सुधरी हुई	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
		अटेर
		भिण्ड
		गोहद
		मेहगांव
		लहार
		रैनमिहोना
		गोरमी
		मौ

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
11.	पन्ना :	अजयगढ़	ज्वार	तुअर	5...	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी,	7. पर्याप्त,	8. पर्याप्त.	
		पन्ना	
		गुन्नौर	
		परवई	
		रैपुरा	
		अमानगंज	
		देवेन्द्रनगर	
		सिमरिया	
		शाहनगर	
		जयसिंह नगर	0	0	0	0	0	0	गेहूँ	राईसरसें	जौ	कम	25%	सुधरी हुई	10%	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी,	7. पर्याप्त.
12.	सागर :	बीना	जुताई चालू	चना	..	कम	30%	सुधरी हुई	10%						
		खुरई	बोनी चालू	मसूर	..	कम	15%	सुधरी हुई	10%						
		बण्डा	मटर	लाख	कम	20%	सुधरी हुई	10%						
		सागर	अलसी	..	कम	10%	सुधरी हुई	10%						
		रेहली	गन्ना	..	अधिक	10%	सुधरी हुई	10%						
		देवरी	अन्य	..	कम	20%	सुधरी हुई	10%						
		गढ़ाकोटा	
		राहतगढ़	
		केसली	
		मालथोन	
13.	दमोह :	शाहगढ़	बोनी चालू	गेहूँ	..	अधिक	20%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी,	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		हटा	ज्वार	..	अधिक	40%	सामान्य	
		बटियागढ़	चना	..	कम	2%	सामान्य	
		दमोह	मसूर	..	अधिक	10%	सामान्य	
		पथरिया	तुअर	..	कम	50%	समान	
		जवेरा	अन्य	..	कम	20%	सामान्य	
		तेन्दूखेड़ा	
		पटेरा	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
17.	अनूपपुर :	जैतहरी	..	जुताई चालू	धान	समान	..	सुधरी हुई	20%	5. पर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अनूपपुर	..	बोनी चालू	तुअर	ज्वार	..	अधिक	10%	सुधरी हुई	10%
		कोतमा	गेहूँ	अधिक	5%	सुधरी हुई	15%
		पुष्पराजगढ़	राईसरसों	अलसी	मसूर	अधिक	5%	सुधरी हुई	5%
		बांधवगढ़	..	जुताई चालू	चना	अधिक	5%	सुधरी हुई	5%
18.	उमरिया :	बांधवगढ़	..	बोनी चालू	तुअर	कम	2%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		पाली
		चंदिया
		नौरोजाबाद
		मानपुर	गेहूँ	कम
19.	सीधी :	गोपदवनास	..	जुताई चालू	राईसरसों	कम	40%	समान	..	5. ..	6.(अ) पर्याप्त	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सिंहावल	..	बोनी चालू	चना	समान	..	समान
		मझौली	जौ	कम	20%	सामान्य
		कुसमी	अलसी	समान	..	सामान्य
		चुरहट	मसूर	कम	5%	सामान्य
		बहरी
		गमपुरनैकिन
20.	सिंगराली:	चितरंगी	..	जुताई चालू	तुअर	चना	..	कम	2%	सुधरी हुई
		देवसर	..	बोनी चालू	ज्वार	समान	..	सुधरी हुई
		सरई	अलसी	समान	..	सामान्य
		माडा	राईसरसों	मसूर	..	कम	5%	सामान्य
		सिंगराली	मटर	कम	10%	समान

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8	9	10	
24.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा	जुताई चालू बोनी चालू	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
25.	आगर :	बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.	
26.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अब्बोपु बडैदिया गुलाना	गेहूँ चना राईसरसों मसूर तुअर अन्य	अधिक 20% कम 25% समान .. समान .. कम 10% समान ..	समान .. सामान्य .. सामान्य .. सामान्य .. समान .. समान ..	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
27.	देवास :	सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव	जुताई चालू राईसरसों	गेहूँ मसूर चना मटर अन्य	कम 15% कम .. कम 10% कम .. कम .. कम 25%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	5.	6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
28.	झाबुआ :	थांदला मेघनगर पेटलावद झाबुआ राणापुर रामा	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूँ चना	सामान्य सामान्य	समान सामान्य	5. अपर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. ..		
29.	अलीराजपुर :	जोवट अलीराजपुर कटटीवाडा सोंडवा उदयगढ़ चन्द्रशेखर आ. नगर भामरा	बोनी चालू	गेहूँ चना	अधिक	5%	सामान्य	5.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.		
30.	धार :	बदनावर सरदारपुर धार कुक्सी मनावर धरमपुरी गंधवानी डही पीथमपुर	जुताई चालू बोनी चालू	कपास गन्ना गेहूँ चना	अधिक अधिक	5% 20%	समान बिगड़ी सुधरी हुई सुधरी हुई	5.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.		
31.	इन्दौर :	देपालपुर सांवर इन्दौर गौतमपुरा महू (अम्बे.)	जुताई चालू बोनी चालू	5.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.			

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8	9	10
36.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़	गेहूँ चना मसूर अन्य	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त.	
*37.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्याँदा पठरी ग्यारसपुर	अप्राप्त
38.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़	बोनी चालू	गेहूँ चना मसूर मटर अन्य	सामान्य सामान्य समान सामान्य सामान्य	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त.
39.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछावर नसरुल्लाहांज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी	गन्ना गेहूँ चना मसूर अधिक 5% कम 10% कम 5%	सामान्य सामान्य समान	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8					9			10		
47.	मण्डला :			धन	तुअर	..	समान	..	सुधरी हुर्झ	..	5. ..	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी,	7. पर्याप्त, 8. पर्याप्त.
	मण्डला	अलसी	राईसरसों	..	सामान्य	..	सुधरी हुर्झ
	नैनपुर	अन्य	सामान्य	..	सुधरी हुर्झ
	बिछिया
	निवास
	नारायणगंज
	घुघरी
48.	डिण्डोरी:			जुताई चालू	धन	तुअर	..	समान	..	समान	..	5. पर्याप्त,	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी,	7. पर्याप्त, 8. पर्याप्त.
	डिण्डोरी	बोनी चालू	अन्य	समान	..	सामान्य
	शाहपुरा	राईसरसों	गेहूँ	चना	समान	..	सामान्य
	बजाग	मटर	मसूर	अलसी	सामान्य	..	सामान्य
49.	छिन्दवाड़ा :			जुताई चालू	5. पर्याप्त,	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी,	7. .. 8. पर्याप्त.
	छिन्दवाड़ा	बोनी चालू
	तामिया
	परासिया
	जुनारदेव
	साँसर
	बिछुआ
	अमरवाड़ा
	चौरई
	उमरेठ
	मोहखेड़
	हरई
	चांद
	पांडुणा
50.	सिवनी :			जुताई चालू	गेहूँ	कम	5. पर्याप्त,	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी,	7. पर्याप्त, 8. पर्याप्त.
	सिवनी	बोनी चालू	चना	कम
	बरघाट	धन	कम
	कुरई	ज्वार	कम
	केवलारी	गना	अधिक
	लखनादोन	तुअर	कम
	छपारा	कम
	धनोरा	मसूर	कम
	घंसोर	मटर	कम

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10			
51.	बालाघाट :		धान	समान	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
	बालाघाट	
	लाँजी	
	किरनापुर	
	बैहर	
	वारासिवनी	
	कटंगी	
	लालबरा	
	तिरोडी	
	परसवाड़ा	
	बिरसा	
	खैरलाँजी	

*जिला विदिशा से पत्रक अप्राप्त है.

(236)

बी. बी. अग्निहोत्री,

उप-आयुक्त,

वास्ते-आयुक्त,

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.